सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-106/प्रेस नोट/2021 **26 फरवरी 2021**

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना- महराजगंज

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26/2/2021 को SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में SI सुबोध कुमार, का0 अंकित मिश्रा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग तलाश वारण्टी में थाना क्षेत्र में मामूर थे। जब रघुपुर थाना क्षेत्र बार्डर पर पहुँचे तो जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिलरियागंज की तरफ रघुपुर की तरफ अवैध शराब लेकर आ रहा है इस सूचना पर SI मय हमराही मय मुखविर के रघुपुर वार्डर पर पेडो की आड़ लेकर आने जाने वाले व्यक्तियो पर नजर रखने लगे। कुछ ही देर में एक व्यक्ति हाथ में पिपिया लिये हुए विलरियागंज की तरफ से आता दिखाई दिया मुखविर खास इशारा करके हट बढ गया , पिपिया वाले व्यक्ति को जैसे ही रघुपुर वार्डर पर पुलिस वार्डर वोर्ड पर पहुँचा तभी पुलिस टीम ने घेर कर पकड़ लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम संदीप चौहान S/O मोहन चौहान नि0 भलवाई थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया। दाहिने हाथ मे लिये पिपिया के बारे मे पूछा तो बताया कि सहाब इस में 10 ली0 अबैध शराब है मैं बेचने जा रहा था इसे बेचकर जीवन यापन करता हूँ। पिपिया का ढक्कन खोलकर सूंघा गया तो उसमे शराब जैसी गंध आ रही थी। जिसे कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा आरोपी को अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम का अपराध बताकर आज दिनांक 26/2/21 को समय 11.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 58/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

संदीप चौहान S/O मोहन चौहान नि0 भलवाई थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

01 पीपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 58/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व मेंSI सुबोध कुमार, का0 अंकित मिश्रा

थाना कन्धरापुर

अपहरणकर्ता गिरफ्तार, अपहृता बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान वांछित / गैंगेस्टर चोर लुटेरा नकबजन के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशलत निर्देशन मे दि0 26.02.21 को कन्धरापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सुचना पर मु0अ0सं0 23/21 धारा 363/366 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हमजा पुत्र गुफरान सा0 जल्लुपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ को दिनांक 26/02/21 को समय 07.05 बजे सुबह ग्राम मन्दुरी से गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त के साथ अपहृता / पीड़िता निवासी थाना कन्धरापुर आजमगढ की बरामदगी भी की गयी। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिफ्तार अभियुक्त

हमजा पुत्र गुफरान सा0 जल्लुपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 23/21 धारा 363/366 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SHO दिनेश कुमार सिंह- प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर
2. उ0नि0 मानिकचन्द तिवारी - थाना कन्धरापुर
3. हे0का0 अभिषेक कुमार सिंह– थाना कन्धरापुर
4. का0 नीरज खरवार - थाना कन्धरापुर
5. म0का0 अर्चना तिवारी – थाना कन्धरापुर

थाना देवगांव

सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.02.2021 को देवगांव थाना क्षेत्र अन्तर्गत गांव निहोरगंज जनपद आजमगढ़ में दुकान मालिक देवनाथ यादव पुत्र निहोरी यादव निवासी उपरोक्त द्वारा पुराने किरायेदार संगीता गुप्ता पत्नी राजेश कुमार गुप्ता निवासी उपरोक्त के दुकान में रखे समान को मकान मालिक व शरारती तत्वों द्वारा सड़क पर फेंक दिया गया था।

दिनाकं 25.02.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज व स्थानीय पुलिस दुकान में समान रखवाने हेतु गई थी समान रखवाते समय दुकान मालिक व अन्य शरारती तत्वों द्वारा पुलिस बल पर पथराव किया गया तथा पुलिस द्वारा शरारती तत्वों को भागने हेतु हल्का पुलिस बल प्रयोग किया गया। घटना के सम्बन्ध में सरकारी कार्य में बाधा डालने व अवैधानिक रुप से दुकान खाली करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 35/2021 धारा 147/148/149/325/332/333/336/353/307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम देवनाथ आदि 13 नफर नामजद व 150 से 200 लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा नामित अभियुक्तगणो व वीडियो आदि से पहचान करके घटना में सम्मलित अभियुक्तगणो को तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिये गये जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 26.02.2021 को नि0अ0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह के वास्ते गिरफ्तारी अभियुक्तगण क्षेत्र में मामूर थे कि मुखविर खास से सूचना मिली की उक्त घटना में सम्मलित अभियुक्तगण मोलनापुर पुलिया पर किसी वाहन का इन्तजार कर रहे है इस सूचना पर तत्काल क्षेत्र में रवाना द्वितीय मोबाइल को बुलाकर मोलनापुर पुलिया पर दोनो तरफ से घेर कर 05 नफर अभियुक्तो को मौके पर ही समय करीब 12.30 बजे पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम 1-देवनाथ यादव पुत्र निहोरी यादव उम्र करीब 65 वर्ष 2-इन्द्राज यादव पुत्र देवनाथ यादव उम्र करीब 45 वर्ष 3- अजीत कुमार पुत्र केशव प्रसाद उम्र करीब 20 वर्ष 4- संतोष कुमार पुत्र वीरजू उम्र करीब 37 वर्ष नि0गण कपसेठा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 5-पिन्टू सरोज पुत्र विजेन्द्र सरोज उम्र करीब 24 वर्ष नि0 कैथीशंकरपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ बताया । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 35/2021 धारा 147/148/149/325/332/333/336/353/307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1-देवनाथ यादव पुत्र निहोरी यादव उम्र करीब 65 वर्ष निवासी कपसेठा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

2-इन्द्राज यादव पुत्र देवनाथ यादव उम्र करीब 45 वर्ष निवासी कपसेठा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

3- अजीत कुमार पुत्र केशव प्रसाद उम्र करीब 20 वर्ष निवासी कपसेठा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

4- संतोष कुमार पुत्र वीरजू उम्र करीब 37 वर्ष निवासी कपसेठा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

5- पिन्टू सरोज पुत्र विजेन्द्र सरोज उम्र करीब 24 वर्ष निवासी कैथीशंकरपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

निरी0 अपराध राकेश कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़
उ.नि. अभिषेक सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़
हे0क0 गोविन्द सिंह ,थाना देवगाँव आजमगढ़
हे0का0 सतीश सिंहथाना देवगाँव आजमगढ़
का0 ऐश कुमारथाना देवगाँव आजमगढ़
का0 बृजेश कुमार ,थाना देवगाँव आजमगढ़
म0आ0 अंजली,थाना देवगाँव आजमगढ़
म0आ0 शुभी भारती थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25.03.19 को रानी की सराय थाना क्षेत्र के वादी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष अपनी माँ के साथ स्कूल जा रही थी रास्ते में गांव का छोटू उर्फ कल्लू पुत्र शिवचरन अपने मोटर साइकिल से आ रहा था। जो स्कूल छोड़ने के बहाने से वादी की लड़की को अपनी मोटर साइकिल पर बैठा कर बहला-फुसला कर कहीं ले कर चला गया और उसके साथ बलात्कार करना पुछे जाने पर गाली गुप्ता देना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/19 धारा 363/366/376/504/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा टाप टेन वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व व0उ0नि0 उदयराज यादव मय हमराह का0 अखिलेश गुप्ता का0 दीपक यादव का0 सुधान्शु यादव द्वारा सम्बन्धित न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) आजमगढ़ का अ0स0 67/19 धारा 363/366/376/504/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट मे तारिख पेशी दिनांक 26.02.2021 को गैर जमानतीय वारण्ट अभियुक्त छोटू उर्फ कल्लू पुत्र शिवचरन सा0 कोइलारी बुजुर्ग थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को पुलिस बल द्वारा दबिश देकर अभियुक्त के घर से समय करीब 08.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 67/19 धारा 363/366/376/504/506 भादवि व 3,4 पाक्सो एक्ट थाना रानी की सराय जनपद

गिरफ्तार अभियुक्त –

छोटू उर्फ कल्लू पुत्र शिवचरन सा0 कोइलारी बुजुर्ग थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 उदयराज यादव मय हमराह का0 अखिलेश गुप्ता का0 दीपक यादव का0 सुधान्शु यादव

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 32 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।